रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244934
CG-DL-E-05042023-244934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945
No. 209] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

(राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 270(अ).—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 (2021 का 47) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (राष्ट्रीय बोर्ड) इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ– (1) इन विनियमों को सरोगेसी विनियम 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अन्य शर्तों की पूर्ति जिसके अंतर्गत धारा 4 के खंड (iii) के उप-खंड (ग) के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है- यदि उपयुक्त प्राधिकारी की राय है कि सरोगेसी के लिए पात्रता शर्त अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त है, तो पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसे विचार और अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के पास भेजा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक का समय और स्थान तथा ऐसी बैठक में कार्य संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति बनाने वाले सदस्यों की संख्या-(1) राष्ट्रीय बोर्ड की छह माह में कम से कम एक बार बैठक होगी और पचास प्रतिशत सदस्य गणपूर्ति का गठन करेंगे।

(2) यदि राष्ट्रीय बोर्ड की किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और ऐसी स्थगित बैठक का कार्य उस बैठक में किया जाएगा जो दो घंटे के बाद निर्धारित की जा सकती है, लेकिन सात दिनों से अधिक नहीं, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विनिर्धारित ऐसी तिथि, स्थान और स्थल पर आभासी या भौतिक रूप से आयोजित की जा सकेगी।

(4) (क) राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले राष्ट्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना जारी करेगा।

(ख) सदस्य सचिव बैठक की सूचना के साथ एक कार्यसूची जारी करेगा जिसमें निर्धारित बैठक में राष्ट्रीय बोर्ड के समक्ष लाए जाने वाले कार्य पर बल दिया जाएगा:

बशर्ते कि असाधारण परिस्थिति में, राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड की बैठक के लिए निर्दिष्ट अवधि से पहले नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(5) कोई सदस्य जो राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा इस प्रकार परिचालित कार्यसूची में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है, उसे बैठक से कम से कम सात दिन पहले शामिल करने के लिए नोटिस देगा।

4. वह तरीका जिसमें कोई व्यक्ति धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से संबद्ध हो सकता है - राष्ट्रीय बोर्ड किसी व्यक्ति को किसी भी बैठक में भाग लेने या आवश्यकता के अनुसार अस्थायी रूप से राष्ट्रीय बोर्ड के साथ संबद्ध करने का सह-विकल्प चुन सकता है।

5. राज्य बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कार्य संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गणपूर्ति बनाने वाले सदस्यों की संख्या- (1) राज्य बोर्ड की छह माह में कम से कम एक बार बैठक होगी और पचास प्रतिशत सदस्य गणपूर्ति का गठन करेंगे।

(2) यदि राज्य बोर्ड की किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और ऐसी स्थगित बैठक का कार्य उस बैठक में किया जाएगा, जो दो घंटे के बाद निर्धारित की जा सकती है, लेकिन सात दिनों से अधिक नहीं, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं।

(3) राज्य बोर्ड की बैठक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विनिर्धारित ऐसी तिथि, स्थान और स्थल पर आभासी या भौतिक रूप से आयोजित की जा सकेगी।

(4) (क) राज्य बोर्ड का सदस्य सचिव बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले राज्य बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना जारी करेगा।

(ख) सदस्य सचिव बैठक की सूचना के साथ एक कार्यसूची जारी करेगा जिसमें निर्धारित बैठक में राज्य बोर्ड के समक्ष लाए जाने वाले कार्य शामिल होंगे:

बशर्ते कि असाधारण परिस्थिति में, राज्य बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड की बैठक के लिए निर्धारित अवधि से पहले नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(5) कोई सदस्य जो राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा इस प्रकार परिचालित कार्यसूची में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है, उसे बैठक से कम से कम सात दिन पहले शामिल करने के लिए नोटिस देगा।

6. **वह तरीका जिसमें कोई व्यक्ति धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अस्थायी रूप से राज्य बोर्ड से संबद्ध हो सकता है-** राज्य बोर्ड किसी व्यक्ति को किसी बैठक में भाग लेने या आवश्यकता के अनुसार अस्थायी रूप से राज्य बोर्ड के साथ संबद्ध करने का सह-विकल्प चुन सकता है।

[फा. सं. यू.11019/30/2022-एचआर(भाग-I)]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

(NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by section 51 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board (National Board) hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Surrogacy Regulations, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. The fulfillment of other condition under which eligibility certificate to be issued by the appropriate authority under sub-clause (*c*) of clause (iii) of section 4.- If the appropriate authority is of opinion that the eligibility condition for surrogacy other than those mentioned in the Act, the same may be sent to the National Board for consideration and approval before issuing the eligibility certificate.

3. The time and place of the meeting of the National Board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meeting and the number of Members which shall form the quorum under sub-section (1) of section 19.- (1) The National Board shall meet at least once in six months and fifty percent of the members shall constitute the quorum.

(2) If there is no quorum at any meeting of the National Board, the meeting shall be adjourned and the business of such adjourned meeting shall be transacted in the meeting which may be scheduled after two hours, but not beyond seven days, irrespective of there being a quorum or not.

(3) The meeting of the National Board may conduct virtually or physically on such date, place and venue as decided by the Chairperson of the Board.

(4) (a) The Member Secretary of the National Board shall issue notice of every meeting of the National Board to every Member of the Board not less than fifteen days before the date of meeting.

(b) The Member Secretary shall issue, with the notice of the meeting an agenda emphasising the business to be brought before the National Board in the scheduled meeting:

Provided that in exceptional circumstance, the Chairperson of the National Board may dispense with the requirement of notice before the specified period for meeting of the Board.

(5) A Member who desires to move any motion not included in the agenda so circulated by the Member Secretary of the National Board shall give notice for inclusion of the same at least seven days before the meeting.

4. The manner in which a person may be temporarily associated with the National Board under sub-section (1) of section 22.- The National Board may co-opt a person to attend any meeting, or to temporarily associate with the National Board as per the requirement.

5. The time and place of the meetings of the State Board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meetings and the number of Members which shall form the quorum under sub-section (1) of section 29.- (1) The State Board shall meet at least once in six months and fifty percent of the members shall constitute the quorum.

(2) If there is no quorum at any meeting of the State Board, the meeting shall be adjourned and the business of such adjourned meeting shall be transacted in the meeting, which may be scheduled after two hours, but not beyond of seven days, irrespective of there being a quorum or not.

(3) The meeting of the State Board may conduct virtually or physically on such date, place and venue as decided by the Chairperson of the Board.

(4) (a) The Member Secretary of the State Board shall issue notice of every meeting of the State Board to every Member of the Board not less than fifteen days before the date of meeting.

(b) The Member Secretary shall issue, with the notice of the meeting an agenda containing the business to be brought before the State Board in the scheduled meeting:

Provided that in exceptional circumstance, the Chairperson of the State Board may dispense with the requirement of notice before the prescribed period for meeting of the Board.

(5) A Member who desires to move any motion not included in the agenda so circulated by the Member Secretary of the State Board, shall give notice for inclusion of the same at least seven days before the meeting.

6. The manner in which a person may be temporarily associated with the State Board under sub-section (1) of section 32.- The State Board may co-opt a person to attend any meeting or to temporarily associate with the State Board as per the requirement.

[F. No. U.11019/30/2022-HR(Part-I)]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.04.05 19:50:18 +05'30'